हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा

E-Mail: hbkessm@gmail.com

Ref. No. HBKESSM/1 **(Through E-mail)** Dated: 25.07.2026

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ,
हरियाणा सरकार, सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़।

विषय: बिजली क्षेत्र के निजीकरण के विरोध एवं कर्मचारियों व अभियंताओं की लंबित मांगों के संबंध में 11, 12 एवं 13 अगस्त को तीन दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल का नोटिस।

श्रीमान जी,

इस पत्र के माध्यम से हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा आपके संज्ञान में यह लाना चाहता है कि पहले जब हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को तोड़ा गया था तो यह कहा गया था कि निगम बनने से बिजली की व्यवस्थाओं में सुधार होगा और विभाग को राजस्व का लाभ व कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा, लेकिन इसके उल्ट सुधार होने की बजाय विभागीय घाटा बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालातों में अब हरियाणा सरकार के द्वारा एक नई कंपनी हरियाणा एग्रो डिस्काम बनाने की तैयारी की जा रही है, जबकि हरियाणा में किसानों के कृषि फीडर पहले से ही अलग हैं और उनके सारे काम टेंडर (निविदा) के ज़रिए होते हैं, इसलिए इस एग्री डिस्कोम की कोई आवश्यकता नहीं है। गुड़गांव तथा नूंह जिले में इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को DHBVN के समांतर बिजली वितरण का लाइसेंस देने की प्रक्रिया HERC के विचारधीन है। अतः संयुक्त संघर्ष मोर्चा आपसे अनुरोध करता है कि हरियाणा एग्रो डिस्कॉम कंपनी बनाने, बिजली वितरण का समानांतर लाइसेंस व स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को हरियाणा में तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए।

संयुक्त संघर्ष मोर्चा आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता है कि हरियाणा बिजली विभाग (DHBVN, UHBVN, HVPNL, HPGCL) के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी वर्तमान समय में अत्यंत विषम परिस्थितियों और अपनी न्यायसंगत मांगों की उपेक्षा से त्रस्त हैं। विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार, कर्मचारियों के स्वाभिमान, सेवा-सुरक्षा की रक्षा तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी संगठनों द्वारा बार-बार ध्यानाकर्षण के बावजूद मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है।

निजीकरण की नीतियों एवं कर्मचारियों व अभियंताओं की अनदेखी के विरोध में, सर्वसम्मति से **संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के समस्त बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स 11, 12 एवं 13 अगस्त को 3-दिवसीय पूर्ण हड़ताल (Strike) पर रहेंगे**। यदि इस अवधि से पूर्व, हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर ठोस

निर्णय नहीं लिया गया, तो भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी औद्योगिक अशान्ति की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार एवं प्रशासन की होगी । यदि सरकार द्वारा कृषि डिस्कॉम (Agri DISCOM) के गठन से संबंधित कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो इस पत्र/ज्ञापन को ही हमारी ओर से बिना किसी पृथक सूचना के अनिश्चितकालीन हड़ताल (Indefinite Strike Notice) का अग्रिम नोटिस समझा जाए ।

अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि बिजली क्षेत्र के हितों, लाखों उपभोक्ताओं की निर्बाध बिजली सेवा और हजारों कर्मचारियों / अभियंताओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा करें।

धन्यवाद सहित।

DA: माँग-पत्र और प्रस्तावित आंदोलन कार्यक्रम संलग्न है ।

हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से:-

(Ravinder Ghanghas) **General Secretary** **Haryana Power Engineers Association**	**(Rajender Rana)** **General Secretary** **AHPC Worker Union** **Head Office: Hisar**	**(Yashpal Deshwal)** **General Secretary** **HSEB Worker Union** **Head Office: Bhiwani**	**(Vijender Brar)** **President** **HPC SC/ ST & BC Employees Union**

प्रतिलिपि:

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (अग्रसारित) की जाती है:–

1. माननीय श्री अनिल विज जी बिजली मंत्री, हरियाणा सरकार।
2. मुख्य सचिव, चौथी मंज़िल, हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़।
3. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार (बिजली विभाग), New सिविल सचिवालय, सेक्टर-17, चंडीगढ़।
4. प्रबंध निदेशक (MD), हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPGCL), ऊर्जा भवन, सेक्टर-6, पंचकूला, हरियाणा ।
5. प्रबंध निदेशक (MD), हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL), शक्ति भवन, सेक्टर-6, पंचकूला, हरियाणा।
6. प्रबंध निदेशक (MD), उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN), विद्युत सदन, सेक्टर-14, पंचकूला, हरियाणा।
7. प्रबंध निदेशक (MD), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (DHBVN), विद्युत सदन, विद्युत नगर, हिसार हरियाणा।

Anenxure-1

हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा

Demand Charter

1. बिजली क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रियाओं को निरस्त करना

(i) हरियाणा एग्री डिस्कॉम के गठन का प्रस्ताव तत्काल वापस लिया जाए।

एग्री डिस्कॉम का गठन बिजली निगमों के कर्मचारियों की सेवा, सुरक्षा तथा किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध है। एग्रो डिस्कॉम के गठन से कोई सार्थक/ फलदायी उद्देश्य प्राप्त नहीं होंगे, अतः यह प्रस्ताव तत्काल वापस लिया जाए।

(ii) गुरुग्राम एवं नूंह में बिजली वितरण के निजीकरण का प्रस्ताव तत्काल निरस्त किया जाए।

समानांतर निजी वितरण लाइसेंस बिजली क्षेत्र के सुधार के लिए एक व्यावहारिक समाधान नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई समर्पित राइट ऑफ वे (ROW - Right of Way) उपलब्ध ही नहीं है । यह प्रस्ताव सार्वजनिक बिजली व्यवस्था, कर्मचारियों, किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत हैं। अतः निजीकरण की यह प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाए।

(iii) बिजली क्षेत्र की कंपनियों (HPGCL / HVPNL / DISCOMs) की शेयर बाजार/स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग एवं TBCB (Tariff Based Competitive Bidding) परियोजनाएँ तत्काल बंद की जाएँ।

शेयर बाजार/स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की प्रक्रियाओं एवं HVPNL में TBCB परियोजनाएँ पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि यह इस क्षेत्र में निजीकरण का ही एक रूप है।

iv) स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया परियोजनाएँ तत्काल बंद की जाएँ।

स्मार्ट मीटर बिजली क्षेत्र के सार्वजनिक हित में नहीं है । अतः इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।

2. एक्स-ग्रेशिया पॉलिसी 2019 में संशोधन:-

(i) नौकरी के प्रथम 5 वर्ष एवं अधिकतम 52 वर्ष की आयु सीमा संबंधी शर्तों को समाप्त किया जाए।

(ii) हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित नई एक्स-ग्रेशिया पॉलिसी को बिना किसी संशोधन के विभाग में लागू किया जाए।

(iii) DHBVN/UHBVN में एल.डी.सी. एवं यू.डी.सी. पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता (B.Com और M.Com) को संशोधित कर LDC के लिए 12 वीं व UDC के लिए सामान्य स्नातक के रूप में निर्धारित किया जाए, जिससे पात्र कर्मचारियों को समान अवसर प्राप्त हो सके।

(iv) UHBVNL की तर्ज पर एक्स-ग्रेशिया (Ex-Gratia) पॉलिसी के अंतर्गत नियुक्त LDC कर्मचारियों को सभी प्रकार के लाभ उनकी टाइप टेस्ट की तिथि (Date of Type Test) के स्थान पर जॉइनिंग की तिथि (Date of Joining) से प्रदान किए जाएँ।

(v) जिस मृतक कर्मचारी का परिवार नौकरी नहीं लेता उसके परिवार को उस मृतक कर्मचारी की LAST PAY DRAWN उसके परिवार को मृतक कर्मचारी की रिटायरमेंट तारीख तक दी जाए और निश्चित उम्र तक वाली पाबंदी को हटाया जाये ।

3. HVPNL / HPGCL में भी आवश्यक Restructuring लागू की जाए तथा DHBVN/UHBVN में किए गए Restructuring की खामियों को दूर किया जाए:-

i) HVPNL एवं HPGCL में भी आवश्यक Restructuring कर नए पद सृजित किए जाएँ। इसी प्रकार HVPNL एवं HPGCL में भी वर्तमान कार्यभार एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक Restructuring लागू की जाए तथा नवसृजित पदों को शीघ्र पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाए।

ii) DHBVN एवं UHBVN में Restructuring कर नए पद सृजित किए गए थे, परंतु आज तक तीन नए सर्किल (चरखी दादरी, नूंह और हांसी जिलों) में अधीक्षण अभियंता (Superintending Engineer) नियुक्त नहीं किए गए हैं एवं न ही 24 no. नयी डिवीजन, जो कि ब्यूरो से स्वीकृत हैं का गठन / सृजन किया गया है।

iii) **क्लैरिकल स्टाफ एवं प्यून (Peon) के पदों का पुनर्सृजन (Recreation):**

DHBVN एवं UHBVN में किए गए Restructuring के दौरान डिवीजन एवं सर्कल कार्यालयों में क्लैरिकल स्टाफ (LDC, UDC, Assistant) तथा फील्ड कार्यालयों में प्यून (Peon) के पदों में अत्यधिक एवं अव्यावहारिक कटौती की गई है, जिससे कार्यालयों में कार्यभार बढ़ गया है तथा प्रशासनिक एवं उपभोक्ता सेवाएँ प्रभावित हो रही हैं। अतः कार्य की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार इन पदों का पुनः सृजन (Recreate) एवं पुनर्बहाली (Reinstate) की जाए।

iv) प्रत्येक कैडर के कर्मचारी और अधिकारियों की तैनाती (पोस्टिंग) एवं स्थानांतरण (ट्रांसफर) की शक्तियाँ संबंधित प्रबंध निदेशक (Managing Director) के पास निहित की जाए।

4. ऑनलाइन ट्रांसफर की समाप्ति:-

बिजली सेवा की चारों यूटिलिटी मे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ना लागू की जाए, क्योंकि विभाग के कुशल संचालन हेतु प्रशासनिक दक्षता से अधिक तकनीकी दक्षता एवं अनुभव आवश्यक है, जिसे मौजूदा नीति में पूर्णतः नज़रअंदाज़ किया गया है। यदि यह पॉलिसी लागू की गई तो इससे विभागीय कार्यकुशलता, कर्मचारियों के जान-माल की सुरक्षा, मनोबल और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं सभी पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

5. पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू की जाए:-

राज्य के सभी बिजली विभाग के कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना (OPS) पुनः लागू की जाए, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक स्थायित्व प्राप्त हो सके।

6. Demands of Engineers:-

a) वरिष्ठता सूची (Seniority List) का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में अनिवार्य रूप से समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि अनावश्यक मुकदमों एवं याचिकाओं (Unnecessary Litigation) से बचा जा सके।

b) डीपीसी (DPC) के माध्यम से पात्र अधिकारियों को निर्धारित समय पर पदोन्नति एवं टाइम स्केल (Time Scale) प्रदान किया जाए, तथा डीपीसी (DPC) की बैठकों का समय भी निश्चित किया जाए जो कि कम से कम महीने में एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए।

c) इंजीनियरिंग कैडर के आरोप पत्रों (Charge Sheets) और कारण बताओ नोटिसों (SCN) का समयबद्ध निपटारा करना।

d) 'स्पैरो' (SPARROW) पोर्टल की तर्ज पर ऑनलाइन एसीआर (ACR/APAR) व्यवस्था लागू करना।

e) बिजली आपूर्ति के व्यवधान (Downtime) को न्यूनतम करने हेतु स्वीकृत मानदंडों के अनुसार तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता SDO Operations के स्तर पर सुनिश्चित करना।

f) नए कनेक्शनों के लिए सामग्री (Except Poles, Conductors, Cables and Transformers) की कमी / समय पर अनुपलब्धता की समस्या का **स्थायी** समाधान करना, ताकि उप-मंडल अधिकारी (SDO Operations) के स्तर पर असुविधा और परेशानी से बचा जा सके।

g) पुरानी डीओपी (Delegation of Powers / शक्तियों के प्रत्यायोजन) की समीक्षा (Review) कर वर्तमान आवश्यकताओं एवं कार्यालयीन परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन (Amendments) कराए जाएँ, तथा इसकी प्रतिवर्ष (वार्षिक आधार पर) समीक्षा की जाए।

h) सभी एचपीयू (HPUs - हरियाणा पावर यूटिलिटीज) में बीबीएमबी (BBMB) शेयर कोटा के पदों पर अनिवार्य पदस्थापना की जाए ।

i) ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में गृह जिले (Home District) में पदस्थापना पर रोक लगाई गई है; परंतु डिस्कॉम की व्यावहारिक कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए इसमें ढील दी जानी चाहिए।

j) SDOs / SSEs के लिए कार्यालयों में एयर कंडीशनर (AC) एवं आधिकारिक वाहन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाए।

k) Emergency Response Team उप-मंडल अधिकारी (SDO Operations) के स्तर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाए।

l) अत्यधिक कार्यभार वाले ग्रीष्मकालीन पीक सीजन (मई से अगस्त) के दौरान एसडीओ (SDO Operation) का आधिकारिक फोन रात्रि के समय केवल शिकायत केंद्र (Complaint Center) पर रखने की अनुमति दी जाए, क्योंकि आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अधिकारी उप-मंडल क्षेत्र में ही उपलब्ध रहते हैं ।

7. DC रेट/HKRN कर्मचारियों का नियमितीकरण एवं समान वेतन नीति:-

(i) DC रेट/HKRN के माध्यम से कार्यरत सभी कच्चे कर्मचारियों को एक सरल एवं स्थायी नियमितीकरण नीति बनाकर शीघ्र नियमित किया जाए तथा तब तक उन्हें सेवा सुरक्षा एवं समान वेतन का लाभ प्रदान किया जाए।

(ii) समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति प्रभावी रूप से लागू की जाए।

(iii) ₹21,000 से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी ईएसआई (ESI) का लाभ दिया जाए।

(iv) ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।

(v) जिन एच.के.आर.एन. (HKRN) कर्मचारियों की सेवा अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी है, उन सभी कर्मचारियों को भी Security of Service Act Haryana के प्रावधानों के अंतर्गत सेवा की स्थिरता एवं अन्य लाभ प्रदान किए जाएँ।"

(vi) DC रेट / Contract/HKRN कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान Accident Insurance, Medical एवं LTC सुविधा दी जाए।

(vii) अनुसूचित जाति (SC) के लिए 20% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 27% आरक्षण का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के उपरांत सभी पात्र संविदा (Contractual) एवं HKRNL कर्मचारियों को नियमित किया जाए।

(viii) DC रेट कर्मचारियों की 2022 से कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं हुई है । इनकी वार्षिक वेतनवृद्धि एरियर सहित दी जाए ।

8. कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि व रिस्क अलाउंस देने बारे:-

(i) सभी हरियाणा पावर यूटिलिटीज (HPUs) में अभियंताओं (Engineers) के भत्ते व्यवहारिक एवं समान होने चाहिए।

(ii) जान जोखिम में डालकर प्रदेश को रोशन रखने वाले सभी कच्चे एवं पक्के कर्मचारियों को ₹7,000प्रति माह "रिस्क अलाउंस" दिया जाए।

(iii) कर्मचारियों के लिए अधिकारियों की तर्ज पर टाइम स्केल (Time Scale) लागू किया जाए तथा उसके लागू होने तक वर्तमान एसीपी (ACP) की समय-सीमा संशोधित कर 5, 10 एवं 15 वर्ष की जाए।

(iv) चिकित्सा भत्ता ₹5,000 प्रति माह किया जाए।

(v) बढ़ती महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए कन्वेंस भत्ता ₹5,000 प्रति माह किया जाए।

(vi) शिफ्ट ड्यूटी भत्ता ₹1,000 प्रति माह लागू किया जाए।

(vii) शिक्षा भत्ता ₹5,000 प्रति माह किया जाए।

(viii) प्रत्येक कर्मचारी को 500 बिजली यूनिट प्रति माह मुफ़्त प्रदान की जाए तथा इसका लाभ कच्चे कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाए।

(ix) प्रत्येक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति उपरांत एक माह के वेतन के बराबर राशि "रिटायरमेंट गिफ्ट" के रूप में दी जाए।

(x) सभी तकनीकी एवं क्लेरिकल कर्मचारियों चाहे कच्चे हों या पक्के को समान रूप से वर्दी एवं धुलाई भत्ता प्रदान किया जाए।

(xi) नो वर्क नो वेजेस को निरस्त करके पूर्व की तरह देय प्रकार का अवकाश किया जाए।

(xii) बैंकों के साथ हुए MOU में विद्यमान त्रुटियाँ और अव्यवहारिक नियमों को दूर किया जाए।

9. कर्मचारी कल्याण से संबंधित नीतिगत मुद्दे

(i) इंटर यूटिलिटी ट्रांसफर पॉलिसी:-

चूंकि चारों यूटिलिटीज़ की अधिकांश भर्तियां संयुक्त रूप से की जाती हैं एवं नियुक्ति के समय कर्मचारियों को यूटिलिटी चयन का अवसर नहीं दिया जाता,अतः सभी कर्मचारियों को इंटर यूटिलिटी ट्रांसफर का विकल्प प्रदान किया जाए।

(ii) बाहरी जोन में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण:-

ALM, LM, AFM, JE, LDC, UDC सहित उन सभी कर्मचारियों को, जिन्हें उनके होम सर्कल से बाहर स्थानांतरित किया गया है, उनको उनके होम सर्कल या निकटवर्ती सर्कल में स्थानांतरित किया जाए।

(iii) कॉमन कैडर के अंतर्गत पदोन्नति:-

कॉमन कैडर के अंतर्गत आने वाले सभी पदों की सीनियरिटी सूची (Seniority List) को शीघ्र जारी किया जाए तथा LDC से UDC और UDC से Assistant के पदों पर पदोन्नति (Promotion) की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए।

(iv) क्लैरिकल कर्मचारियों के Unqualified Quota में वृद्धि:-

क्लैरिकलकैडर के अंतर्गत Unqualified Quota को वर्तमान 25% से बढ़ाकर 50% किया जाए, जिससे लंबे समय से कार्यरत अनुभवी कर्मचारियों को उन्नति एवं पदोन्नति के उचित अवसर प्राप्त हो सकें।

(v) ASSA से SSA, ALM से LM पदोन्नति एवं स्थान निर्धारण:-

ASSA से SSA, ALM से LM के पद पर पदोन्नति (Promotion) शीघ्र की जाए तथा पदोन्नति के पश्चात कर्मचारियों को उनके होम सर्कल से बाहर न भेजा जाए, ताकि वे अपने निवास स्थान के समीप कार्य कर सकें और विभागीय कार्यकुशलता बनी रहे।

(vi) चार्जशीट / शोकॉज के कारण ACP, LOAN एवं प्रमोशन लाभ न रोके जाएं:-
जिन कर्मचारियों के विरुद्ध केवल चार्जशीट या शोकॉज नोटिस लंबित है और जिन पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, उनके ACP (Assured Career Progression), Loan अथवा Promotion के लाभ को रोका जाना बंद किया जाए।

(vii) JSE (Junior System Engineers) Cadre कि पदोन्नति (Promotion) के मार्ग / रास्ते खोले जाएँ।

(viii) बिजली विभाग एक इंजीनियरिंग विभाग है, अतः एसडीओ (SDO) कार्यालय से लेकर मुख्य अभियंता (Chief Office) कार्यालय तक अन्य इंजीनियरिंग विभागों की तर्ज पर ड्राइंग कैडर (Drawing Cadre) के पृथक पदों (जैसे JDM, HDM, CHD, CDM आदि) का विशेष रूप से सृजन किया जाए। हालाँकि, इन पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (Diploma in Electrical Engineering) निर्धारित की जा सकती है ।

10. हरियाणा पावर यूटिलिटीज (HPUs) में आरक्षण नीति को लागू करना

(I) रोस्टर रजिस्टर का संधारण एवं बैकलॉग पदों की पूर्ति:-
सभी श्रेणियों के रोस्टर रजिस्टर तैयार कर उनका नियमित संधारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुसूचित जाति (SC) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (BC/OBC) के लंबित (Backlog) आरक्षित पदों को समयबद्ध ढंग से भरा जाए।

(II) पदोन्नति में आरक्षण का लाभ:-
उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को निम्न पद से उच्च पद पर पदोन्नति के समय प्रचलित आरक्षण नीति, संवैधानिक प्रावधानों एवं लागू नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाए।

11. चिकित्सा सुविधाएं एवं कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी:-

सभी कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी लागू की जाए।साथ ही, NPS कर्मचारियों, DC रेट/HKRN एवं उनके परिवारजनों को सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के पश्चात भी संपूर्ण चिकित्सा सुविधा दी जाए।

12. वेतन विसंगतियों का निवारण:-

(i) अकाउंटेंट एवं सेक्शन ऑफिसर (SO) के ग्रेड पे एवं वेतनमान को वित्त विभाग की तर्ज़ पर संशोधित किया जाए।

(ii) Deputy Superintendent (Head Office) को HVPNL के समानान्तर पदों की तर्ज पर Grade Pay ₹4200 प्रदान किया जाए, ताकि समान कार्य के लिए समान वेतन नीति का पालन हो सके।

(iii) छठे एवं सातवें वेतन आयोग से संबंधित सभी लंबित विसंगतियों का शीघ्र निवारण किया जाए।

(iv) डिवीजनल अकाउंटेंट (Divisional Accountant), Deputy Superintendent, JE/JE-I को भी SDO की तर्ज पर लैपटॉप उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य अबऑनलाइन पोर्टल पर किए जा रहे हैं। साथ ही, कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु उन्हें डेटा कार्ड (Internet Connectivity) भी प्रदान किया जाए।

13. सेवानिवृत्त एवं फ़ैमिली पेंशनरों को निःशुल्क यूनिट एवं फ़ैमिली पेंशनरों को एल टी सी का लाभ:-

i. विभाग में कार्यरत सभी सेवानिवृत्त पेंशनरों एवं फ़ैमिली पेंशनरों को निःशुल्क विद्युत यूनिट (Free Units) का लाभ प्रदान किया जाए।

ii. सभी फ़ैमिली पेंशनरों को भी एल.टी.सी. (Leave Travel Concession) का लाभ विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाए।

iii. कम्यूटेशन रिकवरी अवधि को वर्तमान 15 वर्ष की बजाय 10 वर्ष 8 माह की अवधि में सीमित किया जाए।

14. टाइप टेस्ट में आवश्यक छूट (Relaxation) एवं शीघ्र आयोजन

चारों बिजली यूटिलिटीज़ में जिन कर्मचारियों का टाइप टेस्ट अभी तक आयोजित नहीं किया गया है, उनके लिए टाइप टेस्ट का शीघ्र आयोजन किया जाए। साथ ही, टाइप टेस्ट के आयोजन में हुए विलंब के कारण कर्मचारियों के पदोन्नति, एसीपी (ACP) एवं अन्य सेवा लाभ प्रभावित न हों, इसके लिए प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक छूट (Relaxation) प्रदान की जाए।

15. **महिला कर्मचारियों हेतु क्रेच (Creche) की व्यवस्था**

जिन कार्यालयों में 5 या उससे अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत हैं, वहाँ प्रचलित नियमों के अनुसार क्रेच (Creche) की व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए, ताकि महिला कर्मचारियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं परिवार-अनुकूल कार्य वातावरण प्राप्त हो सके।

Annexure-2

हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा

प्रस्तावित आंदोलन कार्यक्रम:-

29 जुलाई 2026:-

प्रदेश के सभी सर्कलों में सर्कल स्तरीय विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे तथा संबंधित उपायुक्त (डी.सी.) के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

03, 04 एवं 05 अगस्त 2026:-

प्रदेश की सभी यूनिटों में यूनिट स्तरीय विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे तथा कर्मचारियों को प्रस्तावित हड़ताल के संबंध में संगठित एवं जागरूक किया जाएगा।

06, 07 एवं 08 अगस्त 2026:-

प्रदेश की सभी सब-यूनिटों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे तथा गाँव-गाँव जाकर आम जनता को हरियाणा एग्री डिस्कॉम, बिजली वितरण के निजीकरण एवं अन्य निजीकरण संबंधी नीतियों से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

11, 12 एवं 13 अगस्त 2026:-

प्रदेशभर के बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त रूप से तीन दिवसीय पूर्ण हड़ताल (Strike) करेंगे।

Note: यदि सरकार द्वारा कृषि डिस्कॉम (Agri DISCOM) के गठन से संबंधित कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो इस पत्र/ज्ञापन को ही हमारी ओर से बिना किसी पृथक सूचना के अनिश्चितकालीन हड़ताल (Indefinite Strike Notice) का अग्रिम नोटिस समझा जाए।